

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

संचिका सं०-05/स्था०-115/2011

पटना, दिनांक

बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त(सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन) नियमावली, 2003 एवं दिनांक-01.01.2009 से प्रभावी बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त(रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन) योजना, 2010 के प्रावधानों के तहत विभागीय स्क्रिनिंग समिती की दिनांक-17.10.2017 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में परिवहन विभाग, बिहार, पटना के क्षेत्रीय कार्यालयों के समूह "ग" के निम्नलिखित कर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के प्रभासी होने की तिथि -09.08.1999 अथवा उसके पश्चात 12 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से प्रथम 24/20 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से द्वितीय एवं दिनांक-01.01.2009 को अथवा उसके बाद 30 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने की तिथि से तृतीय वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति उनके नाम के सामने कॉलम 4, 5 एवं 6 में अंकित तिथि में कॉलम में उद्धृत वेतनमान में दी जाती है:-

क्र०सं०	नाम/पदनाम	नियुक्ति की तिथि वेतनमान	स्वीकृत सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन ए०सी०पी० / एम०सी०पी०		
			प्रथम ए०सी०पी० / तिथि / वेतनमान	द्वितीय ए०सी०पी० / तिथि / वेतनमान	तृतीय ए०सी०पी० / तिथि / वेतनमान
1	2	3	4	5	6
1	मो० सदिक जफर, लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, मुजफ्फरपुर	25.02.1992 4000-6000/-	30.07.2010 5200-20200 ग्रेड पे०-2800	अनुमान्य नहीं	अनुमान्य नहीं
2	श्री अनिल कुमार, लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पूर्णियाँ	04.01.2016 3050-4590/-	04.01.2016 5200-20200 ग्रेड पे०-2000	अनुमान्य नहीं	अनुमान्य नहीं
3	श्री प्रियरंजन वासुकी, लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, पटना।	07.09.2007 3050-4590/-	07.09.2017 5200-20200 ग्रेड पे०-2000	अनुमान्य नहीं	अनुमान्य नहीं
4	श्री गिरीश कु० साह, सेवा निवृत्त लिपिक, जिला परिवहन कार्यालय, हाजीपुर	12.03.1981 4000-6000/-	09.08.1999 पूर्व में स्वीकृत	01.03.2005 पूर्व में स्वीकृत	12.03.2011 9300-34800 ग्रेड पे०-4600
5	श्री ललन कु० देव, सेवा निवृत्त, लिपिक, जिला परिवहन कार्या०, समस्तीपुर	01.03.1979 4000-6000/-	09.08.1999 पूर्व में स्वीकृत	01.03.2003 पूर्व में स्वीकृत	01.03.2009 9300-34800 ग्रेड पे०-4600

बिहार राज्य कर्मचारी सेवा शर्त (ए०सी०पी०) नियमावली 2003 के नियम-8 एवं बिहार कर्मचारी सेवा शर्त (रूपांतरित ए०सी०पी०) योजना-2010 के परिशिष्ट के कंडिका-7 के आलोक में उपर्युक्त स्वीकृत वृत्ति उन्नयन के फलस्वरूप, लिपिकों के वेतन का निर्धारण, फंडामेंटल रूल्स के नियम-22(1)(ए०)(i) के तहत किया जाएगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसे रद्द या संशोधित कर दिया जाएगा तथा भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति कर ली जाएगी।

4. प्रस्ताव में प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-05/स्था0-115/2011 6531

पटना दिनांक- 20/12-17

प्रतिलिपि:-जिला कोषागार, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, पटना, हाजीपुर, समस्तीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6
Tallu

उप सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।